

न्यायालय नायब तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

प्रकरण संख्या 14/18

निर्णय दिनांक 5.3.18

रिपोर्ट पटवरी हल्का अब्बापुरी द्वारा प्रस्तुत की गई । प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर होकर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 5.3.18 को पेश हो ।

आज पत्रावली पेश हुई । आवाज लगवाई गई गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा सक्षिप्त मे विवरण निम्नप्रकार है कि पटवारी हल्का अब्बापुरी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि गैर सायल महिनान पुत्र शमभयती कोम ब्राह्मण निवासी भूतियान तहसील राजाखेडा ने आराजी खसरा नम्बर 1307 किस्म हीरापुर रकवा 1-13 वाके ग्राम भूतियान पर राम की अतिकमण कर लिया है । प्रकरण दर्ज रजिटर किया गया गैर सायल को जरिये नोटिस से तलब किया गया गैर सायल उपस्थित/अनुपस्थित रहा, कोई सबूत एवं साक्ष्य पेश नहीं किया गया । तत्पश्चात् रिपोर्ट पटवारी हल्का का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अतिचारी का अतिकमण सिद्ध होता है ।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिचारी को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है शरह लगान 4.12 की 50 गुनी से शास्ति राशि 207/- रूपये आरोपित की जाती है । भू अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को लिखा जावे । टी0आर0ए0 को मांग कायमी हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो । निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

राशि 207 रजिटर नं. 106 प्रम सं. 05
रजिटर दर्ज की गई

[Signature]
नायब तहसीलदार
TRA
राजाखेडा